

--::-- छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन --::--

प्रधान-कार्यालय, एन-3, अंबति विहार, रायपुर

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2013-14/

6759

रायपुर, दिनांक-17-06-13

::: आदेश :::

संचालक मण्डल की 28वीं बैठक के ठहराव क्र० 28.07 में लिये गये निर्णयानुसार निगम में कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान 12% लागू किया जाता है।

यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होगा।

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2013-14/ 6759  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक  
रायपुर दिनांक 17-06-13

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
03. प्रबंधक (लेखा), छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
04. प्रबंधक(कार्मिक/वाणिज्य/तकनीकी), कार्यपालन यंत्री, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
05. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय-रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग।
06. सहायक अभियंता/उपयंत्री, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
07. भविष्य निधि/वेतन पत्रक शाखा, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
08. समस्त शाखा प्रबंधक, छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
09. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक